कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वन्मण्डला बलरामपुर (छत्तीसगढ़)।

दूरभाष:- 07831-273091,273092 (Office), 273093 (Fax)

ई—मेल dfobalrampur@gmail.com

क्रमाँक/मा.चि./2017/67-4 प्रति,

विषय:-

संदर्भ :-

बलरामपुर दिनाँक 🔎 ५/03/2017

अपर प्रधान

मुख्य वनसरक्षक (भू-प्रबंध / व.स.अ.)

छत्तीसगढ़ रायपुर

Diversion of 21.923 Ha. Forest Land in favour of Executive Engineer, Water Resources Division No. 02 Ramanujganj for Construction of Canal of Khutpali Diversion Scheme for Irrigation, Area - 21.293 ha. Regarding

पंजीयन क्रमाँक FP/CG/IRRIG/13417/2015

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नगापुर का पत्र क्र. FC-II/CH-54/2017-NGP/1370 Date 20th February, 2017 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध / व.सं.अ.) छ०ग० रायपुर का पत्र क्रमाँक / भू-प्रबंध / सिंचाई / 425-56 / 656 (ई) रायपुर दिनाँक

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के निर्देशानुसार खुटपाली व्यपवर्तन परियोजना के नहर निर्माण हेतु चाही गई अतिरिक्त जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

S	n आपत्ति						
1	Extant project in U	निराकरण					
	construction of canal, the category of the proposal has been recorded as irrigation in the online proposal. The necessary rectification to change the category to linear projects may be made by the state Government	प्रस्तावित परियोजना linear project है जो सिंचाई परियोजना से संबंधित है।					
2	A hard copy of part-I generated by the web portal has not been submitted. Original copy of the same duly bearing the date and name of signing authority may be submitted by the state Government.						
5	Specific recommendation of the DCF concerned has not been recorded in part-II. Original copy of the Part-II recording the specific recommendation of the DCF duly bearing the date and name may be submitted by the state Government. Similarly, Part -III dose not bear the name of the signing authority. the same may rectified and uploaded on website. Copy of documents in support of the competence/authority of the person making application on behalf of the user Agency has not been uploaded correctly on web- Portal. KML file of the area proposed for diversion is ambiguous as KML files pertaining to the surrounding area have also been uploaded. KML file, exclusively for the canal, needs to be uploaded on the website and a soft of the same along with clear shape file may be submitted to regional Office.	भाग दो संशोधित तैयार कर प्रस्तुत है। प्रस्तावित स्थल का KML file की सी.डी संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण संलग्न है।					

7	644 project affected trees have been reported in the part-II submitted online while details of enumeration list enclosed with the proposal mentioned the total number of project affected trees as 900. Exact number of project affected	प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों की गणना 21-30 से.मी. गोलाई से की गई, जिसमें वृक्षों की संख्या 900 है। जबकि वेब पोर्टल्ल पर विकल्प 31-60 से.मी. की गोलाई अनुसार वृक्षों की संख्या प्रविष्ट किये जाने पर वृक्ष संख्या 644 होती है। 21-30 से.मी. गोलाई के वृक्षों की संख्या 256 है जिसकी प्रविष्टि हेतु वेब पोर्टल पर विकल्प नहीं है। प्रभावित वन कक्षों का घनत्व 0.6 है किन्तु नहर हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में विरल वन होने के कारण वृक्षों की संख्या कम है।							
	trees needs to be re-confirmed by the state Government. Given the density of 0.6 over an area of 21.29 ha, 40 number of trees per ha seems inappropriate. It may also be reconfirmed by the State Government.								
8	Area calculation statement in the forest as well as non forest land for the construction of canal giving compete details o Row for canal, roads and others structures, if any, may be submitted along with the proposal.	विवरण संलग्न है।							
9	With regards to the information furnished on total area diverted in the forest Division, the DCF concerned has submitted to figures i.e. 1587.784 ha and 150.82 ha the DCF concerned has certified that so far an area of 150.82 h been diverted under the forest(conservation) Act, 1980 in the district. the information needs to be re-confirmed by the state Government	वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 1587.784 हे. है, त्रुटिवश 150.82 हे. अंकित हो गया है। विवरण संलग्न है।							
10	Extant project is a linear Project i.e. related to construction of canal which is considered as non-site specific activity. The details of alternative explored by the user agency have not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित क्षेत्र हेतु अन्य विकल्पों का मानचित्र संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र से नहर ले जाने पर अधिक एवं सघन वन भूमि प्रभावित होगी।							
11	A tabular statement containing details of the Forest patch, length of canal, density, area	क्र.	परियोजना का नाम		SU			20 से.मी. ऊपर गोलाई के	30से.मी. से ऊपर गोलाई वे
	involved and number of trees being affected may be submitted by the State Government.			कक्ष कमांक	रकबा हे. में.	नहर की लंबाई (मीटर में)	का धनत्व	वृक्षी की संख्या	वृक्षों की संख्या
		1	2	- 3	4	5	6	7	8 -
			खुटपाली व्यपवर्तन	P 3294	2.185	745.72	0.6	76 105	76
		2	परियोजना	P 3295 P 3299	1.332	450.45 481.75	0.6	95	- 58
		4	(P 3306	8.45	169.66	0.6	110	69
		5		P 3307	0.18	1468.43	0.6	74	68
		6		P 3308	5.7	353.42	0.6	246	197
		7		P 3315	1.254	1646.52	0.6	145	126
		8		P 3320	0.433	126.29	0.6	49	20
12	Component wise breakup of the forest land	प्रस	_{योग} तावित क्षे	त्र का	उपयोग	5442.24 केवल नह	इर निर्माप	ग हेतु वि	त्या त्रया
13	An appropriate map showing cross sectional map of the canal may be submitted by the state Government.		वेगा। अ तिचन्न सं			नही किया	जाएगा	1	

उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

पू. क्रमॉंक/मा.चि./ 67-5 प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को अवलोकनार्थ सम्प्रेषित ।

2. आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र.—2 रामानुजगंज जिला बलरामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वनमण्डलिधिकारी बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर बलरामपुर, दिनाँक 2 403/2017

Parg 3: -3

भाग−॥

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।) प्रस्ताव की राज्य कुम संख्या

सं.क.	प्रस्ताव का राज्य कम संख्या	
	- Callor	जिला बलरामपुर के ग्राम कोटपाली, परिक्षेत्र चान्दो एवं बलरामपुर अंतर्गत रिथत है।
1	राज्य/संध शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
2	जिला	
3	वन प्रभाग	सरगुजा
area.		ब्लरामपुर वनमंडल,
4	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र(हे.मे.)	बलरामपुर
5	वन का कानूनी स्थिति	21.293 हੇ.
6	हरियाली का धनत्व	संरक्षित वन
7	प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और गरिक केरी	0.6
0	संबंध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.२ मी. परिगणना एवं एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलवन किया जारो	
8	भू-क्षरण के लिये क्षेत्र की संवेदनशीलता पर टिप्पणी	-
9	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन क्षेत्र अंतर्गत है।
10	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डकल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं।
1 1	क्या क्षेत्र में वनस्पति व प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो	नहीं।
12	रार्टाववा क्वारा द।	
12	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्रधिकरण से अनापित प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दे।	
(8)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तृत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
(9)	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है	
	(हॉं/नहीं) यदि हां तो कार्य कर अवधि, दोषी अधिकारियो पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दे। क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं
(10)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
	1. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर सेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	प्रस्ताव के साथ संलग्न
	को निर्धा वनाकरण के लिए अभिनिधरित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास की वन सीमाओ को दर्शाता मैप।	किया गया है।
	3. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	-
	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय र परिव्यय।	ਲ0. 232.73 लाख

	4.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बार में और प्रबंधकीय दृष्टिकोन से सक्षम प्रधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	
11	काल हुए	ा वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त ाम ७ (११,१२) ८ और ९ में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते (संलग्न करे)	संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12	वि	भाग/जिला प्रोफाईल	
	1	वंनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्रफल	७१ अ १ वर्ग कि.मी.
	2	वनमण्डल का वनक्षेत्र	3051.959 वर्ग कि.मी
-	3	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में	1587.784 हे.
	. 444	लाया गया कुल वनक्षेत्र	प्रकरणों की संख्या 15
	10.0		
	4	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारत कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	निरंक
	ख	वनेतर भूमि पर	संलग्न है।
	5	तह प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	क	वनभूमि पर	1587.784 हे.
	ख	वनेतर भूमि पर	
3	प्रस्त	ाव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के य में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र न्यूनतम है एवं अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः खुटपाली व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर की स्थापना हेतु निर्धारित शर्ते के तहत वन भूमि प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

बीठ्वीठीसंह "भा.व.से" वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर